

मुख्य विवरण, 30.01.23

मुख्य विवरण, 30.01.23

प्रेषक,

डा० सुधीर एम० बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

3158
27.01.23

सेवा में,

1. निदेशक
उच्च शिक्षा, उ०प्र०
प्रयागराज।
3. विशेष कार्याधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक।

2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 05 जनवरी, 2023

विषय:-सड़क सुरक्षा जागरूकता माह दिनांक 05.01.2023 से दिनांक 04.02.2023 तक मनाये जाने के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-1272/सत्तर-3-2022-08(14)/2018, दिनांक 17 मई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क सुरक्षा जागरूकता माह दिनांक 05.01.2023 से दिनांक 04.02.2023 तक मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान विश्वविद्यालयों/समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा के प्रति अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें :-

505

1. शिक्षकों का प्रशिक्षण

CD/ADH
मैदा आ 0 3/2
कोट।

अभियान के अन्तर्गत यथासंभव प्रत्येक दिवस को प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय गोष्ठी आयोजित की जायेगी, जिसमें जनपद के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के प्राध्यापकों एवं प्राचार्यों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा। उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने हेतु जनपद स्तरीय यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

जिलाधिकारी
बलिया
6/1/23

एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार-प्रसार

- (1) प्रत्येक दिवस को एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा संवेदीकरण अभियान चलाया जायेगा।
- (2) अभियान के अन्तर्गत जनमानस को प्रशिक्षित किये जाने हेतु एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

कृपया उपरोक्त पत्र के अनुक्रम में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

कुलसचिव
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया

3. सेमिनार/गोष्ठी

प्रत्येक दिवस को आयोजित जनपद स्तरीय गोष्ठी के क्रम में कार्यक्रम के पश्चात प्रत्येक संस्थान में सड़क सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

4. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जाय, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

5. जागरूकता कार्यक्रम

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।

6. सड़क सुरक्षा शपथ

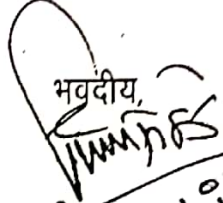
सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

2- उपरोक्तानुसार आयोजित सभी कार्यक्रमों में यथासम्भव अभिभावकों की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाय। सड़क सुरक्षा नियमों से सम्बन्धित हैण्ड बिल सूचना विभाग द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराये जायेंगे, छात्र/छात्राओं के मध्य उनका वितरण सुनिश्चित किया जायेगा।

3- संस्थानों द्वारा आयोजित किये गये कार्यक्रमों की सूचना के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रारूप-I व II संलग्न कर इस निर्देश सहित प्रेषित है कि समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी एवं अपने अधीन आने वाले स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की सूचना, समस्त निजी विश्वविद्यालय तथा एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स के समन्वयक अपनी सूचना निर्धारित प्रारूप-I पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 तक सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 तक निदेशक उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज एवं अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे तथा अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ समस्त सूचनाओं को संकलित कर दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल आईडी0-hesection.3@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी के रूप में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इसके अतिरिक्त परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या-ई-189/तीस-3-2022 दिनांक 27-12-2022 के अनुरूप प्रारूप-II की सूचना समस्त राज्य विश्वविद्यालय अपनी एवं अपने अधीन आने वाले स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों की सूचना, समस्त निजी विश्वविद्यालय तथा एन.सी.सी. /एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स के समन्वयक की सूचना अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ द्वारा संकलित कर दिनांक 04 फरवरी, 2023 तक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के ई-मेल आईडी0-hesection.3@gmail.com पर एवं हार्ड कॉपी के रूप में भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

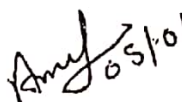
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(डा० सुधीर एम० बठंडे)
प्रमुख सचिव।

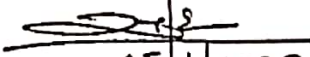
संख्या-43 /सत्तर-3-2022-तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निजी सचिव, मा० मंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग उ०प्र० शासन।
- 6- निदेशक सूचना, उ०प्र०।
- 7- परिवहन आयुक्त, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- समस्त मण्डलायुक्त/ समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी उ०प्र०।
- 10- अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया उपरोक्त दोनों प्रारूपों की सूचना निर्धारित समयान्तर्गत शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 11- गार्ड फाइल।


05/01/2023

8
5.1.2023

आज्ञा से,

05/01/2023
(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा माह मनाये जाने के सम्बन्ध में

प्रारूप-1

दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक

क्र०सं०	गतिविधि	भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय		
1	2	3	4	5	6
1	शिक्षकों का प्रशिक्षण (जनपद स्तरीय)				
2	NCC/NSS/ Rover Rangers द्वारा जन समान्य के लिये जागरूकता अभियान/सड़क सुरक्षा रैली				
3	वॉलराइटिंग				
4	सेमिनार/गोष्ठी				
5	यातायात पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को आमंत्रित कर संस्थानों में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम				
6	रोड सेफ्टी क्लब का गठन				
7	जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन				
8	सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण				



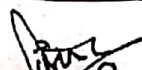
उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा माह मनाये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-ई-189/ तीस-3-2022 दिनांक 27 दिसम्बर, 2022 के साथ संलग्न कार्यक्रम के अनुसार

प्रारूप-2

दिनांक 05.01.2023 से 04.02.2023 तक

क्र०सं०	दिनांक	दिन	बिन्दु
1	05-01-2023	गुरुवार	उद्घाटन एवं सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण-समस्त जनपद, समस्त विभाग (1) एन.ई.डी. वाहन/प्रचार रथ का हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ। (2) कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों/वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संबोधन व उद्घाटन। (3) सड़क सुरक्षा जागरूकता सम्बन्धी पोस्टर, स्टीकर, हैंडबिल एवं पम्पलेट का जन-मानस में वितरण। (4) पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से प्रचार-प्रसार। (5) सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित वीडियो को शिक्षा विभाग की सभी ऑनलाइन कक्षाओं में दिखाया जाना। (6) सी०आर०आर०आर० दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता से सम्बन्धित ऑनलाइन प्रशिक्षण।
2	06-01-2023	शुक्रवार	सी०आर०आर०आई० दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता से सम्बन्धित ऑनलाइन प्रशिक्षण
3	07-01-2023	शनिवार	उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन०एस०एस० के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं रंगोली प्रतियोगिता।
4	08-01-2023	रविवार	स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हेल्थ कैम्प का आयोजन, जिसमें चालकों/परिचालकों, यातायात पुलिस कार्मियों/प्रवर्तन सिहाहियों एवं स्कूली वाहन चालकों का स्वास्थ्य व नेत्र परीक्षण
5	09-01-2023	सोमवार	उच्च शिक्षा के छात्रों को सड़क को सड़क सुरक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा से सम्बन्धित जानकारी देने हेतु परिवहन, स्वास्थ्य एवं यातायात विभाग से जुड़े जनपद अधिकारी को आमंत्रित किया जाय।
6	10-01-2023	मंगलवार	महाविद्यालय स्तर पर रोड सेफ्टी क्लबों के सदस्यों एवं अन्य छात्रों के द्वारा नुक्कड़ नाटक
7	11-01-2023	बुधवार	एन०एस०एस० वालेंटियर द्वारा मलिन बस्ती एवं अभिगृहीत गाँव में जागरूकता अभियान।
8	12-01-2023	गुरुवार	सी०आर०आर०आई० दिल्ली द्वारा उच्च शिक्षण के प्रवक्ताओं/प्राचार्यों का सड़क सुरक्षा जागरूकता का ऑनलाइन प्रशिक्षण
9	14-01-2023	शनिवार	उच्च शिक्षण संस्थाओं में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन०एस०एस० के छात्रों द्वारा निबन्ध एवं भाषण।
10	15-01-2023	रविवार	जनपद स्तर पर महिलाओं की दोपहिया रैली
11	22-01-2023	रविवार	परिवहन विभाग के सहयोग से समस्त स्कूली वाहनों की फिटनेस की जाँच। परिवहन निगम की बसों में निगम के अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा



			मानकों-सीट बेल्ट, बैक मिरर, बैक लाइट, इंडीकेटर, फॉग लाइट व रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप के लगे होने का सत्यापन तथा न लगा पाये जाने पर लगाये जाने की कार्यवाही। ओवर स्पीडिंग के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही।
12	26-01-2023	गुरुवार	ध्वजारोहण के पश्चात संविधान की प्रतिज्ञा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण।
13	27-01-2023	शुक्रवार	समस्त जनपदों में परिवहन विभाग के कार्यालयों को जोड़ते हुए यूनाइटेड वे मुम्बई द्वारा सेफ ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया जाना। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में समस्त विभागों के प्रशिक्षणार्थी जनपद के परिवहन कार्यालयों में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करें।
14	29-01-2023	रविवार	सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु समस्त विभागों द्वारा जनपद स्तर पर मानव श्रंखला का आयोजन किया जाना तथा समापन के समय सड़क सुरक्षा शपथ ग्रहण कराया जाना।
15	30-01-2023	सोमवार	उच्च शिक्षण संस्थानों में गठित रोड सेफ्टी क्लब के अन्तर्गत एन0एस0एस0 के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं निबन्ध प्रतियोगिता।
16	31-01-2023	मंगलवार	रोड सेफ्टी क्लबों के सदस्यों द्वारा हेलमेट, सीटबेल्ट, मोबाइल फोन, ड्रंकन ड्राइविंग व रांगसाइड के सम्बन्ध में लोगों को जागरूक करना।
17	03-02-2023	शुक्रवार	जिला विद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/विशेष कार्याधिकारी/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा सड़क सुरक्षा सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों की रिपोर्ट का संकलन एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट प्रेषण।
18	04-02-2023	शनिवार	समापन समारोह का आयोजन- जिला स्तर पर गुड सेमेरिटन, ट्रैफिक पुलिस, चिकित्सकों को रोड सेफ्टी चैम्पियन के तौर पर सम्मानित करना जिसमें परिवहन निगम प्रत्येक जनपद से अपने चालकों/परिचालकों में से तीन श्रेष्ठ चालकों परिचालकों को भी सम्मानित करायेगा। प्रत्येक जनपद में सर्वश्रेष्ठ तीन मास्टर ट्रेनर को उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाना।

[Signature]
25.1.